संख्या–वे0आ0–2–393/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–2) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :––

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पद पर वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षत वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) विभाग में मुख्यालय एवं जोनल स्तर पर विद्यमान उप निदेशक के पदों में से एक उप निदेशक पद को उच्चीकृत कर संयुक्त निदेशक पदनामित करते हुए रू0 12000–16500 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराया जाय। संयुक्त निदेशक के उक्त पद को मुख्यालय पर रखा जाय तथा इसे उप निदेशक पदों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था रखी जाय।

(4) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

(5) विभाग के अन्तर्गत विद्यमान संवैधानिक संस्था उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ अलग से दी जायेगीं तथा

उ0प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ निगम की संस्तुतियों के साथ दी जायेंगी।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या–वे0आ0–2–393(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।